कार्यालय नगर पालिका परिषद अकबरपुर-अम्बेडकरनगर।

सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद, अकबरपुर जनपद—अम्बेडकरनगर द्वारा नगर पालिका परिषद, अकबरपुर अम्बेडकरनगर सीमान्तर्गत भवन निर्माण हेतु नियमावली "जो भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल भवन बायलॉज, 2016 के अनुरुप होगा" को परिषद की बैठक दिनांक 21—12—2016 के प्रस्ताव सं0—03 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। मॉडल बायलॉज, 2016 की प्रति कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है। शुल्क एवं प्रभार पूर्व नियमावली के अनुरुप ही रहेगा। यदि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपित्त है, तो वह सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पन्द्रह) दिवस के अन्दर अपनी आपित्त नगर पालिका कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। वाद मियाद किसी भी आपित्त पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी मॉडल भवन बायलॉज, 2016 को कार्यालय में देखा व पढ़ा जा सकता है।

भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी माडल बिल्डिंग वायलाज, 2016 के परिप्रेक्ष्य में भवन निर्माण नियमावली में संशोधन के मुख्य बिन्दु

- सुरक्षा एवं सिक्यिरिटी:- प्रो० आर्या कमेटी की डिसास्टर मैनेजमेन्ट की रिर्पोट का अनुपालन स्निश्चित किया जाना चाहिए।
- 2. रुकावट से मुक्त इन्वायरमेन्ट:— दिव्यांग, सीनियर सिटीजन एवं बच्चों को ध्यान में रखकर साइट का विकास किया जाना चाहिए जिसमें रास्ता/पार्किंग, भवन में सीढ़ी, लिफ्ट्स, टायलेट, पीने का पानी आदि की व्यवस्था की होनी चाहिए।
- प्रदूषण मुक्त:— भवन के समीप बृक्षारोपण करना, जल का अनावश्यक रूप से बेस्टेज पर रोक लगाना एवं प्रयोग किये गये जल का रिसाइकिल किया जाना एवं सोलर रूफटाप का इन्स्टालेशन किया जाना आवश्यक है।
- 4. भवन निर्माण हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाना:— भवन निर्माण में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाना एवं ऊँची बिल्डिंग में पार्किंग, खुले क्षेत्र, सेट बैकस, डिसास्टर मैनेजमेन्ट एवं अग्नि सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
- स्वच्छ भारत मिशन:
 सर्वाजनिक भवन में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक टायलेट का निर्माण किया जाना एवं विजिटर आदि के लिए आवश्यक सुविधा का प्रावधान किया जाना चाहिए।
- 6. व्यवसाय का सरलीकरण:— आनलाइन बिल्डिंग प्लान अपरुवल प्रासेज का प्राविधान किया जाना एवं प्लान की जांच किया जाना बिल्डिंग निर्माण से सम्बन्धित सभी कार्य सिंगल बिन्डो सिस्टम के माध्यम से सम्पादित किया जाना।
- 7. रेनवाटर हारवेस्टिंग:— भवन में रेनवाटर हारवेस्टिंग का प्रावधान किया जाना/शासकीय अभिकरणों/निजी विकासकर्ताओं/सहकारी समितियों द्वारा विकसित योजनाओं में 100 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के सभी प्रकार के भूखण्डों में रेनवाटर हारवेस्टिंग पद्वित की स्थापना किया जाना अनिवार्य होगा किन्तु 300 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल में मात्र यह बाध्यता



होगी कि भवनों की छत से वर्षा जल का सामूहिक रिचार्ज योजना के नेटवर्क में ही प्रवाहित किया जाए, जबिक 300 वर्गमीटर अथवा उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों में यदि सामूहिक रिचार्ज नेटवर्क नही हो, तो भवन स्वामी का स्वयं ही इस पद्वति की स्थापना करना अनिवार्य होगा।

- 8. सूचना तकनीकी का प्रभाव:- प्रभावशाली सूचना तकनीक का प्रयोग किया जायेगा।
- 9. भवन निर्माण में सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना:— अस्पताल तथा नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/प्राथमिक संस्थाऐं/प्रशिक्षण केन्द्र, सशस्त्र बल/अर्द्व सैनिक बल एवं पुलिस बल के बैरक, सामुदायिक केन्द्र, बैक्वेट हाल, बारात घर एवं इसी प्रकार के अन्य भवन, 500 वर्गमीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के आवासीय भवन पर सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अकबरपुर—अम्बेडकरनगर।

पत्रांक- ६२ ५/भवन मानचित्र नियमावली / 2016-17

दिनांक- 14-3-2017

प्रतिलिपि:-

- 1. दैनिक समाचार पत्र "यूनिक्रिंगार्ग्ण) शिष्ट्रीमिट्फिंम को इस आशय से कि उपरोक्त सूचना आगामी अंक में प्रकाशित कर बिल दी प्रतियों में पांच समाचार पत्रों के साथ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
- कम्प्यूटर आपरेटर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सूचना नगर पालिका परिषद, अकबरपुर की वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 3. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 4. सम्बन्धित पत्रावली में रखने हेतु।

अधिशाषी अधिकारी

नगर पालिका परिषद)∳अकबरपुर—अम्बेडकरनगर।